भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4297

दिनांक 20 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान भारत के जाली पहचान पत्र

†4297. श्री सचिदानन्दम आर:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी -पीएमजेएवाई) के कथित रूप से जाली पहचान पत्र तैयार करने से संबंधित मामले में अस्पतालों के 19 स्थानों पर छापे मारे हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जिन अस्पतालों की तलाशी ली गई और उन पर लगाए गए आरोपों का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या उन अस्पतालों के विरुद्ध कोई अनुवर्ती कार्रवाई की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या संपूर्ण देश में ऐसी धोखाधड़ियों का पता चला है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और धोखाधड़ी के प्रकार क्या हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फर्जी आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) कार्ड के कथित निर्माण से संबंधित एक मामले में 20 स्थानों पर तलाशी ली। जिन स्थानों पर तलाशी ली गई उनमें 07 अस्पताल और प्रबंधन से जुड़े उनके प्रमुख व्यक्ति शामिल थे। मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के सबूत इकट्ठा करने के लिए दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में श्री बांके बिहारी अस्पताल, फोर्टिस अस्पताल हिमाचल हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड, सिटी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, श्री बालाजी अस्पताल, श्री हरिहर अस्पताल, सूद नर्सिंग होम, नीलकंठ अस्पताल पर छापेमारी की गई। तलाशी अभियान के दौरान लगभग 88 लाख रुपये की नकदी और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए।

(ङ) इसके अतिरिक्त, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा असम में एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत पैनलबद्ध अस्पतालों द्वारा जाली दावों से संबंधित तीन मामले दर्ज किए गए हैं।

*****